

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

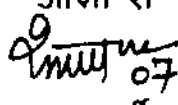
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 422 /2020

दिनांक : 7.02.2020

डॉ. मनीषा चौधरी(RJ0450), अपर सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 24.02.2020 से 07.03.2020 तक 13 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 एवं 08.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. चौधरी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 06, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

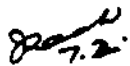
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/83/2002/ 037

दिनांक 07.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 1026 दिनांक 28.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. मनीषा चौधरी(RJ0450), अपर सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
4. अपर सेशन न्यायाधीश(महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 06, जोधपुर महानगर ।


7.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार